

दो रुपये
TWO RUPEES

दो रुपये
TWO RUPEES

दो रुपये
TWO RUPEES

2 COURT FEE
INDIA
दो रुपये
TWO RUPEES

समक्ष- न्यायालय माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्वालियर केम्प सागर

R 487-1108

जाज दिनांक 2-4-08 को

१११ श्रीलेन्द्र तनय सुखनदन दुबे

आयुक्त कार्यालय सागर
से सागर केम्प पर प्राप्त

११२१ रीकवात तनय सीताराम दुबे

GJM
22-4-08

दोनों निवासी ग्राम स्सल्ला, तहसील खुरई

जिला सागर ॥ मध्यप्रदेश ॥

--- आवेदकगण

-: विरुद्ध :-

लखनलाल तनय मन्नुलाल दुबे

साकिन स्सल्ला,

तहसील खुरई जिला सागर ॥ म.प्र. ॥

--- अनावेदक

राजानं मन्नुलाल
गुवायल

रिक्वीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

8 FEB 2008

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, सागर संभाग

सागर के द्वारा पारित अपील प्रकरण क्रमांक 106-अ/6 वर्ष 2006-07

पक्षकार लखनलाल विरुद्ध श्रीलेन्द्र + । तारीख फैसला 8.1.2008 ग्राम स्सल्ला

तहसील खुरई से परिवेदित होकर निम्न विविध एवं तथ्यों पर यह रिक्वीजन प्रस्तुत करते हैं :-

04
21/11/08


१११ यहाँक, श्रीमान आयुक्त महोदय, सागर संभाग, सागर के द्वितीय अपील सच्यय निरस्त करना चाहिए थी व अनुविभागीय अधिकारी, खुरई का आदेश दिनांक 29.11.2006 वैध मान्य करना चाहिए था ।

११२१ यहाँक, अनावेदक लखनलाल द्वारा तहसीलदार खुरई के न्यायालय में वसीयत नामा दिनांक 31.12.93 के अनुसार श्रीमति राजरानी बेवा मन्नुलाल के नाम स्थित भूमि ग्राम स्सल्ला खसरा नम्बर 65 रकवा 1.61 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 66 रकवा 0.07 हेक्टेयर कुल 1.68 हेक्टेयर पर अपना नाम दर्ज कराने आवेदन दिया था । तहसीलदार ने 08000909 दिनांक 6-11-2000 को लखनलाल का

के.के.सि.ला.का.री
256 सागर
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग
सागर (म.प्र.)
Bla
Bla

2-

R-427-1/08 (सामा)



25.10.16

25.10.16
 30.4.13
 25/10/2016

25/10/2016